

परिपत्र सं. 231

विषय: 'शक्तियों के प्रत्यायोजन (डीओपी)' की अनुसूची 'ख' 'स्थापना और सामान्य मामले'की मद सं. 23 और 24 के विषय में संशोधन।

एफएमसीओडी ने दिनांक 26 मार्च, 2019 को आयोजित अपनी 159 वीं (स्थगित) बैठक में अनुसूची ख में "शक्तियों का प्रत्यायोजन"- स्थापना और सामान्य मामले की मद संख्या 23 और 24 में निम्नानुसार संशोधन को अनुमोदन प्रदान किया है:


मद संख्या 23 और 24 की मौजूदा प्रविष्टियाँ क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित की जाएंगी:

मद संख्या 23

मूल रूप से राजस्व व्यय से प्रभारित अप्रचलित, अधिशेष या अप्रयोज्य मदों के निपटान को मंजूरी देने की शक्ति		
शाखा प्रबंधक/मुख्यालय में प्रभागाध्यक्ष जो उप महाप्रबंधक के पद से नीचे का न हो, जिसे निदेशक (कार्मिक) के अनुमोदन के साथ अधिसूचित किया गया है।	पूर्ण शक्तियाँ	सामग्री को शाखा प्रबंधक/मुख्यालय में प्रभागाध्यक्ष द्वारा गठित समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए और स्थानीय वित्त सहयोगी की सहमति से अप्रचलित / अधिशेष आदि घोषित किया जाना चाहिए।

मद संख्या 24

मूल रूप से पूंजीगत व्यय से प्रभारित अप्रचलित, अधिशेष या अप्रयोज्य फर्नीचर व फिक्चर्स, कार्यालयी सामान, संयंत्र व मशीनरी, आदि के निपटान को मंजूरी देने की शक्ति।		
शाखा प्रबंधक/मुख्यालय में प्रभागाध्यक्ष जो उप महाप्रबंधक के पद से नीचे का न हो, जिसे निदेशक (कार्मिक) के अनुमोदन के साथ अधिसूचित किया गया है।	पूर्ण शक्तियाँ	सामग्री को शाखा प्रबंधक/मुख्यालय में प्रभागाध्यक्ष द्वारा गठित समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए और स्थानीय वित्त सहयोगी की सहमति से अप्रचलित / अधिशेष आदि घोषित किया जाना चाहिए।


(दीपक सीएस)
कंपनी सचिव

प्रतिलिपि: सभी संबंधित

CIRCULAR NO. 231

Subject: Amendment of 'Delegation of Powers (DOP)' in respect of Item nos. 23 & 24 of Schedule 'B': 'Establishment and General Matters'

FMCOD in its 159th (Adjourned) meeting held on March 26, 2019 has approved the amendment in Item nos. 23 & 24 of Schedule B: "Delegation of Power - Establishment and General Matters" as given below:


The existing entries at Item Nos. 23 and 24 shall be substituted with the following entries, respectively:

ITEM NO. 23

Power to sanction disposal of obsolete, surplus or unserviceable items originally charged to Revenue Expenditure		
Branch Manager/ Divisional Head at C.O. not below the rank of DGM to be notified with the approval of Director (P)	Full Powers	The material should be declared obsolete/surplus etc. by a committee constituted by the Branch Manager/ the Divisional Head at C.O. by adhering to due process and with concurrence of the local Associate Finance.

ITEM NO. 24

Power to sanction disposal of obsolete, surplus or unserviceable furniture & fixture, other office equipment, plants & machinery, etc. originally charged to Capital Expenditure.		
Branch Manager/ Divisional Head at C.O. not below the rank of DGM to be notified with the approval of Director (P)	Full Powers	The material should be declared obsolete/surplus etc. by a committee constituted by the Branch Manager/the Divisional Head at C.O. by adhering to due process and with concurrence of the local Associate Finance.


 23/4/19
 (Deepak C S)
 Company Secretary

To: All Concerned